संख्या-30-1049/38-6-15-09(एनआरएलएम)/2014

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक-08 सितम्बर ,2015**

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष अनुदान सं0-81(एससीएसटी मद) में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-5307/आजीविका/लेखा-27/2015-16, दि0-02.09.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से केन्द्रांश के रूप में 75 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है। भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-12036/01/2015-आरएल(एनआरएलएम-8सी), दि0-06.08.2015 द्वारा केन्द्रांश की प्रथम किश्त की कुल धनराशि रू0-7,50,92,000.00 (रूपये सात करोड, पचास लाख, बान्नबे हजार मात्र) एससीएसटी मद (अनुदान संख्या-81) में अवमुक्त की गई है।

2- भारत सरकार द्वारा एससीएसटी मद में अवमुक्त केन्द्रांश की उक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष अनुदान संख्या-81(एससीएसटी मद) में मैचिंग राज्यांश रू0-2,50,30,667.00 बनता है। वर्तमान बजट प्रावधान में धनराशि की कमी के दृष्टिगत मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम के प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में एनआरएलएम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एससीएसटी मद अनुदान सं0-81 में की गई बजट व्यवस्था रू0-1,71,61,000.00 में से अवशेष धनराशि रू0-1,66,61,133.00 के सापेक्ष अवमुक्त कुल केन्द्रांश में से रू0-1,24,95,850.00 केन्द्रांश एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0-

http://shasanadesh.up.nic.in

41,65,283.00 को सम्मिलित करते हुए रू0-1,66,61,133.00(रूपये एक करोड छासठ लाख इकसठ हजार एक सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय एनआरएलएम/एनआरएलपी के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2016 को समर्पित कर दी जाएगी।

(3) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि योजनान्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30 मार्च, 2015 एवं समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक-29 मार्च, 2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातिय उप क्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-(के.75/रा.25-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30 मार्च, 2015 के प्रस्तर- 2 के बिन्दु- (14) (क) एवं समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक-27 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या-30-1049(1)/38-6-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाअधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in